उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

14/6/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थी सं० 1 लगायत 4 की ओर से श्री सौरभ गुप्ता एड ने दिनांक 7/6/22 को उप० होकर इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया एवम न० 5 अप्रार्थी की ओर से अदमजवाब रिपोर्ट पूर्व दिनांक 3/6/22 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत कर दिया गया था शामिल मिसल है। प्रार्थना पत्र पर वकील उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। इकबालिया जवाब एवं रिपोर्ट तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भी अवलोकन किया। जिससे प्रकरण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ०धा० 128 पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है। अत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते हैं कि वे उपयुक्त गिरदावरी पटवारियों की टीम गठित कर सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी कायम करावे। राजकीय शुल्क

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

नियमानुसार गजी से प्राप्त करे। निर्णय। पत्रावली
[illegible] [illegible] मिसिल किया गया। पत्रावली बाद
मौखिक होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट(दौसा)

किस्म मुकदमा फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

मु0नं0 18/22 अजय कुमार बनाम् राजन्ती वगै0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
14-06-2022	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री रामबाबू शर्मा एड्वोकेट उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से प्रकरण में इकबाली जवाब पेश हुआ। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। कि:- ख0नं0 53 रकबा 0.5200 हैक्टयर, ख0नं0 193 रकबा 0.0100 हैक्टयर, ख0नं0 194 रकबा 3.2900 हैक्टयर, ख0नं0 212 रकबा 0.0100 हैक्टयर, ख0नं0 213 रकबा 1.0600 हैक्टयर, ख0नं0 215 रकबा 0.2800 हैक्टयर, ख0नं0 270 रकबा 0.5100 हैक्टयर कुल किता-7 कुल रकबा 5.6800 हैक्टयर भूमि वाकै ग्राम खानुपर तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/4, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/8, अप्रार्थी संख्या 4 का हिस्सा 1/2 है। उक्त भूमि पक्षकारान की सहखातेदारी की भूमि है। इस भूमि का दिनांक 13-10-2019 को पक्षकारान के द्वारा सीमाज्ञान भी करवाया जा चुका है। प्रकरण में सभी खातेदार सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी के लिए आपस में सहमत है। तहसीलदार लालसोट की ओर से दिनांक 03-06-2022 को बिन्दूवार रिपोर्ट भी प्रकरण में प्रस्तुत हुई है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी सम्वत् 2075-2078, नक्शा ट्रेस, सीमाज्ञान रिपोर्ट एवं इकबाली जवाब तथा तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रस्तुत बिन्दूवार रिपोर्ट का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया है। मेरे विनम्र मत में प्रकरण में सीमाज्ञान की शर्त के आधार पर उपरोक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना उचित है। अतः तहसीलदार लालसोट को आदेश दिया जाता हैं कि दो कुशल गिरदावर/पटवारीयो की टीम गठित कर उपरोक्त वर्णित आराजीयात भूमि कुल किता-7 कुल रकबा 5.6800 हैक्टयर ग्राम खानपुर तहसील लालसोट जिला दौसा का सीमाज्ञान की शर्त के अनुसार मौके पर जाकर जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी कायम करवायी जावे एवं राजकीय शुल्क प्रार्थी से नियमानुसार प्राप्त करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार लालसोट को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा (राज0)	